HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से कुकर्म करने के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 07.01.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से कुकर्म करने के मामले में 01 आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 03.03.2022 को अभियुक्त अलीम पुत्र नफीसू उर्फ नफीस निवासी ग्राम श्यामपुर जट्ट थाना बाबूगढ जनपद हापुड द्वारा नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर मु0अ0सं0 67/2022 धारा 377, 506 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 01.04.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया
- आज दिनांक 07.01.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल/पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री विपिन कुमार एवं पैरोकार म0का0 मोनू मलिक व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।